सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 23, मंगलवार, *शाके* 1947- मई 13, 2025 *Vaisakha 23, Tuesday, Saka 1947- May 13, 2025*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 24, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/5686 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के खंड (ग) स्पष्टित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **नगर पालिका पीपलू की** वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्र.सं.	**जिला**	**नगर पालिका का नाम**	**नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या**
01.	टोंक	पीपलू	1. ग्राम पंचायत नाथडी का राजस्व ग्राम नाथडी एवं मोहम्मद नगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 2. ग्राम पंचायत काशीपुरा का राजस्व ग्राम बलखिण्डया , काशीपुरा एवं अलीमपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 3. ग्राम पंचायत लोहरवाडा का राजस्व ग्राम आजमपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह,
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।